THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS LEGISLATIVE DEPARTMENTS AND DEPARTMENT OF JUSTICE (SHRI RAMAKANT D. KHALAP): (a) and (b) Representations/suggestions have been received from time to time from certain State Governments, Bar Associations etc. for establishing Benches of Supreme Court in various parts of the country, including Calcutta and South India.

According to Article 130 of the Constitution, the Supreme Court shall sit in Delhi or in such other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint.

No proposal has been received from the Chief Justice of India in this regard. No action is contemplated by the Central Government till such a proposals received.

Awareness about use of Contraceptives

2324. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lack of awareness and mis-conception about the use of contraceptive methods still hamper the efforts to bring down the birth rate in rural areas of the country;

(b) if so, whether a study conducted by the Indian Council of Medical Research shows that traditional healers and trained persons could play a vital role in influencing the villagers to accept one or other method of family planning; and

(c) details of the other points made out in this study and the steps being taken by Government to boost family welfare?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Awareness levels are over 95% as per National Family Health Survey 1992-93. There is however, still an unmet need of over 20% for family planning in the country.

(b) and (c) A pilot study was conducted by Indian Council of Medical Research in 1984-87 in 37 villages of two PHCs in Muzaffarnagar District of Uttar Pradesh. A total of 22 resident institutionally trained traditional Medical Practitioners were provided training for 11 days. The study showed that over a period of intervention of two years there was an increase in the number of acceptors of contraception in these village.

This is only a pilot study covering a small population. A number of large scale studies focussing on the use of rural traditional medical practitioners for delivery of family planning services are essential before the same can be incorporated into the National Family Welfare programme.

किसानों के लिए लाभों की समीक्षा करना

2325. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री नागमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार किसानों के लिए ऋण व्यवस्था और अन्य सुविधाओं की समीक्षा और उनमें सुधार करके ऐसी व्यवस्था कायम करने पर विचार कर रही है जिससे किसानों को उसका पूरा फायदा मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों (नाबार्ड) जैसी सहकारी तथा मियादी ऋणदात्री शीर्ष स्तर की संस्थाओं से निहित ग्रामीण इलाकों में ऋण का भुगतान करने वाली एक सुस्थापित बहु-एजेंसी पद्धति पहले से ही विद्यमान है। नियमित रूप से इस पद्धति की समीक्षा की जाती है और जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ती है इनकी नीतियों में परिवर्तन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण प्रदान करने में बैंक अपने उत्तरदायित्व महसूस करें यह सुनिश्चित करने के लिए कई-कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋण में से कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की राशि का लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 18 प्रतिशत तय किया है। और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा इस क्षेत्र में लक्ष्य पूर्ण करने के लिए की गई प्रगति की समीक्षा आरबीआई नियमित रूप से करता रहता है।

(2) बुनियादी स्तर पर, बैंकों की शाखाओं को सेवा क्षेत्र योजना के अन्तर्गत लक्ष्य प्रदान कर दिए जाते हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न मंचों अर्थात ब्लाक स्तरीय बैंकर समितियां जिला-परामर्शदात्री समिति, और जिला-स्तरीय पुनरीक्षण समिति के साथ-साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां (एसएलबीसी) से बैंकिंग क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की समीक्षा और उस पर निगरानी नियमित तौर पर की जाती है।

(3) केवल कृषि, पुष्प कृषि, खाद्य संसाधन क्षेत्रों की नवीन-प्रकिया वाली और उच्च तकनीक वाली परियोजनाओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए और उन्हें ऋण प्रदान करने के कार्य को सबल बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को विशिष्ट कृषि-शखाएं खोलने की सलाह दी है।

(4) ग्रामीण इलाकों को ऋण प्रदान करने की पद्धति को मजबूत बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यापक पुनर्गठन कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्गठित किया जा रहर है। 1994-95 के दौरान 49 और 1995-96 के दौरान 53 क्षेत्रीय बैंकों को इस प्रयोजन के लिए पहले ही लिया गया है।

(5) वर्ष 1994 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नकद-ऋण योजना प्रारम्भ की है। कुछ नियत मानदण्ड पूर्ण करने वाले किसानों को उनकी मिली-जुली ऋण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए एक लचीली नकद-ऋण सुविधा प्रदान की जाती है।

(6) ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ दो-तीन समीपस्थ जिलों को कवर करते हुए गैर-सरकारी स्थानीय बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के विकास के लिए कार्य-योजना

2326. **श्री भगवान माझी:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के चौमुखी विकास के लिए कोई कार्य-योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जैना): (क) और (ख) पर्यटन का विकास करना मुख्यतया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता और राज्य सरकारों/प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश दोनों के माध्यम से गहन विकास करने के लिए एक परिपथ अर्थात ऋषिकेश-नरेन्दर नगर-गंगोत्री-बद्रीनाथ की पहचान की है। फिर भी, राज्य सरकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए विशेषरूप से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग ने हिमालय के क्षेत्रों में जिसमें उत्तर प्रदेश के पर्वत भी शामिल हैं, का विकास करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है।

Benefits to be Accrued to Pharmacists on Promotion

2327. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some pharmacists working under CGHS in the pay scale of Rs. 1350-2200 have recently been promoted to senior pharmacists in the pay scale of Rs. 1600-2660/-;

(b) if so, the names of pharmacists under different system of medicines benefited by this promotion in Delhi and from which date; and

(c) the details of financial benefit given to them?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Yes, Sir.

(b) Information is given in the enclosed statement (*See* below).

(c) Pharmacists covered by the new scale would be getting the benefits of upgraded payscale (the increase verying from individual to individual) depending upon their present pay in the old scale.

Statement

List of Names of Pharmacist under Different system of Medicine Benefited by Promotion, in Delhi w.e.f. 11.7.95

Sl. No.	Name of the Official (Allopathic)
1.	Shri Gurnam Singh
2.	Shri P.S. Rathi.